



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9525

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41742 / 2025

धर्मेन्द्र.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....प्रतिवादी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : मोहम्मद जाकिर

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद जाकिर और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री एस.के. राय को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक **धर्मेन्द्र** द्वारा दाखिल किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 418 / 2025 में, पुलिस थाना-कोतवाली देहात, जिला-बुलंदशहर, जिला-मेरठ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 109 (1), 115 (2), 351 (3),

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



352 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है और वह 11.06.2025 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सूचनाकर्ता ने आवेदक और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध इस अभिकथन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी का विवाह आवेदक के साथ 21.05.2021 को संपन्न हुआ था और विवाह की तारीख से ही आवेदक और परिवार के अन्य सदस्य अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पीड़िता को प्रताड़ित कर रहे थे। घटना वाले दिन, आवेदक ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर पीड़िता पर केरोसिन तेल डालकर उसे मारने की नीयत से आग लगा दी, जिसके कारण पीड़िता को जलने से गंभीर क्षति हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वास्तविक तथ्य यह है कि पीड़िता ने स्वयं को आग लगा ली थी और आवेदक ने उसे बचाने का प्रयास किया, जिससे आवेदक को भी जलने से क्षति हुई। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के संस्करण में विरोधाभास है, पीड़िता और साक्षियों के कथनों जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित है कि आवेदक और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने केरोसिन तेल डाला और उसके बाद आग लगा दी। जबकि, पीड़िता के कथन में यह कथित है कि आवेदक और अन्य व्यक्तियों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई, और साक्षियों का कथन है कि पीड़िता ने स्वयं पेट्रोल डाला और आग लगाई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराध की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए भौतिक/साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दण्ड की गंभीरता और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, न्यायालय की यह राय है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अतः आवेदक **धर्मेन्द्र**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो स्थानीय प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक नियत तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी भंग होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

14 जनवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।